

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग


प्रेस विज्ञप्ति

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या- 41/25 के आधार पर परिवहन विभाग, बिहार, पटना में मोटरयान निरीक्षक के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Certificates Verification) दिनांक-06.04.2026 को विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ, पटना के द्वितीय तल पर निर्धारित किया गया है:-

क्र० सं०	रौल नं०	नाम
<b>10:00 बजे पूर्वाह्न से</b>		
1	410009	सुश्री रीचा कुमारी
2	410071	सुश्री वंशिका कुमारी
3	410265	सुश्री प्रणाली कुमारी
4	410345	श्री मुन्ना कुमार
5	410401	सुश्री बुलबुल कुमारी
6	410572	सुश्री सबा जुबैर
7	410684	सुश्री करुणा कुमारी
8	410738	श्री आशुतोष कुमार भगत
9	410740	श्री राजेश कुमार
10	410749	श्री प्रमित कुमार
11	410874	श्री सौरभ कुमार
12	411090	सुश्री काजल कुमारी
13	411150	श्री श्रीकान्त कुमार
14	411261	श्री अंकित
<b>01:00 बजे अपराह्न से</b>		
15	411369	श्री लेनिन कुमार
16	411649	सुश्री प्रियंका कुमारी
17	411672	सुश्री प्रीती कुमारी
18	411698	सुश्री तुलिका राहुत
19	411822	श्री अंकित कुमार
20	412118	श्री आकाश कुमार
21	412126	श्री मिथिलेश कुमार
22	412205	श्री राकेश कुमार राज
23	412282	सुश्री रानी कुमारी
24	412422	श्री मयंक मणि
25	412445	श्री दिनकर भारती
26	412548	श्री किशन कुमार यादव
27	412569	श्री आकाश कुमार
28	412683	श्री अभिषेक कश्यप

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी छायाप्रतियों की दो-दो स्व अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे:-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
2. डिप्लोमा उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर नियोजित हों तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु)।
7. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)
8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र।
9. पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र (तीन प्रतियों में) पर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर जाँच समिति के समक्ष करेंगे। विहित सत्यापन प्रपत्र परिवहन विभाग के वेबसाइट (नोटिस बोर्ड) पर उपलब्ध है।
10. पासपोर्ट साईज का 06 (छः) कलर फोटो (जैसा कि आवेदन में है)।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण-पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केश दर्ज नहीं है एवं आचरण प्रतिकूल नहीं है। उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र परिवहन विभाग के वेबसाइट (नोटिस बोर्ड) पर उपलब्ध है।
12. विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र (यदि हो)।
13. अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

  
23/03/2024  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

## सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की  
एक अद्यतन  
हस्ताक्षरित फोटो  
प्रति यहाँ चिपकाएँ।

### चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपन हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।
1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें) नाम
2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर

3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली/स्ट्रीट/सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम  
(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने वाले का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।
4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (आदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थायी पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें					

6. उस पुत्र/पुत्रों और पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:-

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहा है, उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे है
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

(क) जन्म तिथि (क)

(ख) वर्तमान आयु (ख)

(ग) मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र में दी गयी आयु (ग)

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क)

(ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ख)

(ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध है। (ग)

9. (क) आपका धर्म

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबद्ध हों, उसका नाम लिखें।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कालेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की
1	2	3	4

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

से अवधि तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियेक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
1	2	3	4

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है? क्या नोटिस दिये जाने अथवा सेवा समाप्त किये जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? हाँ/नहीं
- (ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है? हाँ/नहीं
- (ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है? हाँ/नहीं
- (घ) क्या कभी आपको नजरबन्द किया गया है? हाँ/नहीं
- (ङ) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है? हाँ/नहीं
- (च) क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है? हाँ/नहीं
- (छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है? हाँ/नहीं
- (ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है? हाँ/नहीं
- (झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? हाँ/नहीं
- (ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? हाँ/नहीं
- (ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/निकाला गया? हाँ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे/ गिरफ्तारी/ हिरासत/ अर्थदंड/ दंडादेश/ सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।

(iii) नोट:- (i) कृपया इस प्रपत्र के 'प्रारम्भ' में लिखी 'चेतावनी' को भी देखें।

(ii) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर "हाँ" अथवा "नहीं" जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।

1.

2.

13. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाऊँ। यदि किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और सूचना गलत पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हिन्दी में -.....

अंग्रेजी में -.....

तारीख .....

स्थान .....

**In the Court of Sub- divisional Magistrate /Executive Magistrate**

Sri .....

S/o D/o ..... Aged .....

by caste ..... by faith .....

by Nationality Indian by occupation .....

resident of

Village ..... Town .....

PO..... PS .....

District ..... do here by solemnly affirm and declare as follows:-

- (i) That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.
- (ii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the Honourable Court.
- (iii) That all the documents i.e. caste certificate, Residential certificate, Educational Qualification certificate/Marks Sheet and others certificate filed by me in connections with the recruitment under Bihar Public Service Commission are true to the best of my belief and knowledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificates. I will be liable to be punished under Law.

The statements made above are true to the best of my knowledge, belief & information and sign this ..... day .....  
at .....

**Deponent Signature**

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is identified by the Advocate .....

Signature of Magistrate .....